न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 77 / 2023

1 महीपाल पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम जाति जाट निवासी ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 पिंकी पत्नी रणदीप जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मकान नम्बर के–2 महिपालपुर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली।

2 लक्ष्मीनारायण पुत्र दयालचन्द जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 273 चन्दन मौहल्ला आरसीसी पब्लिक विद्यालय के पास दक्षिणी दिल्ली।

3 खजानी देवी पत्नी भोलाराम

4 राजेश कुमार पुत्र भोलाराम

5 ताराचन्द पुत्र छैलूराम

6 रामस्वरूप पुत्र मोहरसिंह

7 रोहताश पुत्र मोहर सिंह

8 चन्द्रकला पुत्री उमराव

9 संदीप पुत्र सुरेन्द्र नवीरा उमराव

10 कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र नवीरा उमराव

11 प्रियंका पुत्री सुरेन्द्र नवीरा उमराव

12 कृष्णा पत्नी सुरेन्द्र

13 बनारसी पत्नी मूलाराम

14 धनपत पुत्र मूलाराम

15 सुमेर सिंह पुत्र मूलाराम

16 जलेसिंह पुत्र मूलाराम

17 सतवीर पुत्र मूलाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

18 धनकोरी पत्नी धुड़ाराम
19 रमेश पुत्री धुड़ाराम
20 इन्द्रसिंह पुत्र धुड़ाराम
21 दानाराम पुत्र धुड़ाराम
22 शेरसिंह पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम
23 ज्याना पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम
24 झीमो पुत्री छैलूराम
समस्त जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
25 मूलचन्द पुत्र जमनाराम जाति अहीर यादव निवासी ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
26 इण्डियन ओवरसीज़ बैंक कोलिहान नगर तहसील खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक
27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी उनवानी मुकदमा पिंकी आदि खजानी आदि मु.नं. 244/2022 दावा बाबत विभाजन निर्णय व डिक्री दिनांक 20.12.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 78/2023

1 महीपाल पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम जाति जाट निवासी ग्राम मेहाड़ा जाटूवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 पिंकी पत्नी रणदीप जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मकान नम्बर के–2 महिपालपुर दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली।
2 लक्ष्मीनारायण पुत्र दयालचन्द जाति कुम्हार निवासी मकान नम्बर 273 चन्दन मौहल्ला आरसीसी पब्लिक विद्यालय के पास दक्षिणी दिल्ली।
3 खजानी देवी पत्नी भोलाराम
4 राजेश कुमार पुत्र भोलाराम
5 ताराचन्द पुत्र छैलूराम
6 रामस्वरूप पुत्र मोहरसिंह
7 रोहताश पुत्र मोहर सिंह
8 चन्द्रकला पुत्री उमराव
9 संदीप पुत्र सुरेन्द्र नवीरा उमराव
10 कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र नवीरा उमराव
11 प्रियंका पुत्री सुरेन्द्र नवीरा उमराव
12 कृष्णा पत्नी सुरेन्द्र
13 बनारसी पत्नी मूलाराम
14 धनपत पुत्र मूलाराम
15 सुमेर सिंह पुत्र मूलाराम
16 जलेसिंह पुत्र मूलाराम

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 सतवीर पुत्र मूलाराम
18 धनकोरी पत्नी धुड़ाराम
19 रमेश पुत्री धुड़ाराम
20 इन्द्रसिंह पुत्र धुड़ाराम
21 दानाराम पुत्र धुड़ाराम
22 शेरसिंह पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम
23 ज्याना पुत्र प्रभातीराम नवीरा छैलूराम
24 झीमो पुत्री छैलूराम

समस्त जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

25 मूलचन्द पुत्र जमनाराम जाति अहीर यादव निवासी ग्राम ड़ाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

26 इण्डियन ओवरसीज बैंक कोलिहान नगर तहसील खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक

27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी उनवानी मुकदमा पिंकी आदि बनाम खजानी आदि मु.नं. 244/2022 दावा बाबत विभाजन निर्णय व डिकी दिनांक 06.02.2023

उपस्थिति :

1. श्री सुभाष चन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मो. अनिश, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनूपस्थित)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 19.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 244/2022 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2022 व 06.02.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट के खिलाफ भूमि हाल खसरा नम्बर 390 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 395 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर नम्बर 396 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 400 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.6100 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.4300 हैक्टेयर वाके सरहद डाडा फतेहपुरा में स्थित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बताकर विभाजन के लिए वाद विचारण न्यायालय में पेश किया उक्त वाद पेश होने के बाद अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट की बिना तामील हुए ही बिना किसी आधार के दिनांक 09.12.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही कर बिना कोई साक्ष्य सबूत लिए ही दिनांक 20.12.2022 को एकपक्षीय रूप से डिकी कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार खेतड़ी से मांगे गये। तहसीलदार खेतड़ी ने स्वयं मौके पर जाकर कोई भी विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को अथवा अन्य रेस्पोडेन्ट को कोई नोटिस दिया बल्कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पटवारी हल्का ने गलत तथ्यों के आधार पर गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में पेश कर दिये जिसके आधार दिनांक 06.02.2023 को दावे को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया व विभाजन प्रस्तावों को डिक्री का भाग बना दिया उक्त निर्णय व डिक्री किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में चल रहे प्रकरण में अपीलार्थी के नाम न तो कोई सम्मन जारी किय गये न ही अपीलार्थी की कोई तामील हुई न अपीलार्थी को दावे के सबंध में कोई जानकारी थी विचारण न्यायालय की आदेशिका में भी सम्मन जारी करने के क्रमांक व दिनांक कही भी दर्ज नहीं है न विचारण न्यायालय का रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवाने का कोई आदेश है विचारण न्यायालय की आदेशिका से ही यह प्रमाणित है कि अपीलार्थी को कोई भी सम्मन जारी नही हुए न उसकी कोई तामील हुई कानूनन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसको विधि सम्मत नोटिस देना व उसकी विधि सम्मत तामील होना व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय की आदेशिका को देखने से यह जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री बहुत ही जल्दबाजी में पारित किये गये है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अपने वाद पत्र को साबित करने के लिए न तो मौखिक साक्ष्य विचारण न्यायालय में पेश की व न ही राजस्व रिकार्ड को प्रदर्शित व साबित करवाया जबकि दावे के तथ्य व दस्तावेजों को साबित करने की रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 की जिम्मेदारी थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मौखिक साक्ष्य से न तो अपने दावे को साबित किया न ही अपना हिस्सा दस्तावेज से साबित किया विचारण न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दावे को बिना साबित हुये ही डिक्री कर अपीलाधीन आदेश देने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को न तो कोई सुनवाई का अवसर दिया न ही जवाबदेही का अवसर दिया, न ही अपनी ओर से साक्ष्य सबूत पेश करने पर अवसर दिया, न साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। विचारण न्यायालय ने अपनी प्रारम्भिक डिक्री में यह स्पष्ट उल्लेख किया कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 व राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये रास्ता कायम कर बिभाजन प्रस्ताव पक्षकारान को सूचना देकर के उनकी मौजूदगी में तैयार कर भिजवाने के लिए तहसीलदार खेतड़ी को आदेशित किया था तहसीलदार खेतड़ी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कोई भी विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये बल्कि तथाकथित विभाजन प्रस्ताव को देखने से ही यह स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये है विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व तहसीलदार खेतड़ी के द्वारा अपीलान्ट को कोई भी नोटिस नहीं दिया न ही अपीलान्ट की मौजुदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये, न ही विभाजन प्रस्ताव व उसके साथ बनाये गये नक्शा पर कही अपीलान्ट के हस्ताक्षर करवाये गये इससे यह प्रमाणित है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव विधि विरूद्ध तरीके से अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार कर विचारण न्यायालय में भिजवाये गये थे जिन पर विश्वास पर विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दावे को अंतिम रूप से डिक्री करने में अहम कानूनी भूल की है। जानकारी से अंदर मियाद अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2024(2) आरबी डीबी पेज 1202, आरआरटी 2024(2) आरबी डीबी पेज 1196 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में दावा दिनांक 02.11.2022 को दर्ज किया गया है। प्रथम आदेशिका में प्रतिवादीगण की तलबी प्रस्तुत सम्मन तलबाना पर जरिये सम्मन जारी होने के आदेश है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अनुसार दिनांक 03.11.2022 को अपीलांट के नाम दिनांक 09.11.2022 के लिए रजिस्टर्ड सम्मन जारी किया गया है। प्रथम तो रजिस्टर्ड सम्मन जारी करने का विचारण न्यायालय द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है। द्वितीय विधि अनुसार रजिस्टर्ड सम्मन जारी करने पर एकमाह की तारीख पेशी नियत की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र छः दिवस की पेशी नियत कर नोटिस जारी किये गये है। इसके उपरांत अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश कर विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया के विपरित होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक व अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.12.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर